(65)

सं. 1-1/2015-नीति-4

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 26 अप्रैल, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वर्ष 2016-17 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत गेहूं और चावल की बिक्री हेतु नीति।

अधोहस्ताक्षरी को वर्ष 2016-17 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत गेहूं और चावल की बिक्री से संबंधित नीति पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन सूचित करने का निदेश हुआ है, जो निम्नानुसार है:-

1. वर्ष 2016-17 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा केंद्रीय पूल से गेहूं की 65-75 लाख टन की बिक्री करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और गेहूं की खरीद के बाद स्थिति में परिवर्तन होने पर दिनांक 1 जुलाई, 2016 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में इसके अधिशेष की वास्तविक स्थिति ज्ञात होने पर इस लक्ष्य की समीक्षा की जाएगी।

2. जहां तक चावल की बिक्री का संबंध है, यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2016-17 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत 20 लाख टन ग्रेड-ए चावल की बिक्री का लक्ष्य रखा जाएगा।

3. यह भी निर्णय लिया गया है कि गेहूं का उत्पादन न करने वाले राज्यों में गेहूं की बिक्री 1 अप्रैल, 2016 से शुरू की जाएगी, तथापि पर्वतीय राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों, जहां गेहूं का उत्पादन कम होता है और कटाई के मौसम के दौरान भी मांग-आपूर्ति में अंतर का सामना करना पड़ता है, को भी शामिल किया जाएगा। गेहूं का उत्पादन और खरीद करने वाले अन्य राज्यों जैसे पंजाब, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड से बिक्री की शुरुआत 1 जुलाई, 2016 से अर्थात इन सभी राज्यों में गेहूं की खरीद समाप्त होने के बाद की जाएगी।

4. चावल की बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम विभिन्न राज्यों में साप्ताहिक/मासिक ई-नीलामी इस तरीके से आयोजित करेगा कि पीडीएस चावल की रीसाइक्लिंग की संभावना को रोकने के लिए किसी राज्य विशेष में धान/चावल की खरीद के महीनों के दौरान चावल की बिक्री नहीं की जाएगी। तथापि, यदि इस अवधि के दौरान राज्य सरकारों अथवा उनकी एजेंसियों से उनकी कल्याणकारी स्कीमों/खाद्य सुरक्षा स्कीमों के लिए मांग प्राप्त होती है, तो अपवाद के तौर पर ई-नीलामी की जा सकती है।

5. यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2016-17 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत निजी बल्क क्रेताओं/व्यापारियों को गेहूं की बल्क बिक्री के लिए रिजर्व मूल्य 1640 रुपए प्रति क्विंटल रखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे सरप्लस खरीद वाले राज्यों के बाहर स्थित एफसीआई के डिपुओं से की जाने वाली बिक्री में लुधियाना से एफसीआई के संबंधित डिपो तक मालभाड़ा/सड़क ढुलाई प्रभार को रिजर्व मूल्य में जोड़ा जाएगा।

6. विशिष्ट संचलन (डेडिकेटेड मूवमेंट) के अंतर्गत बिक्री हेतु एफसीआई के डिपो से रेलवे रैक में लोडिंग तक हैंडलिंग तथा ढुलाई प्रभार को भी रिजर्व मूल्य में जोड़ा जाएगा।

7. खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत ग्रेड-ए चावल की बिक्री के लिए वर्ष 2016-17 हेतु समग्र रिजर्व मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल रखा जाएगा।

8. पंजाब में ई-नीलामी में जम्मू-कश्मीर के क्रेताओं के लिए छूट प्राप्त रिजर्व मूल्य पर गेहूं की खरीद हेतु की गई विशेष व्यवस्था को बंद करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा जम्मू-कश्मीर के क्रेताओं के लिए राज्य के भीतर रेलफेड डिपुओं/रेलहेड पर लुधियाना से मालभाड़ा जोड़ने के बाद समुचित रिजर्व मूल्य पर पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

9. निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभाओं के निर्वाचन की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अतः चुनाव वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उपर्युक्त स्कीम का कोई प्रचार नहीं किया जाएगा।

(बृज बिहारी लाल)
अवर सचिव (नीति-3 एवं 4)
दूरभाष: 23384448

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारतीय खाद्य निगम,
नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-
(i) सचिव, व्यय विभाग
(ii) सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग
(iii) सचिव, वाणिज्य विभाग
(iv) विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

प्रतिलिपि :-

(क) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के प्रधान निजी सचिव
(ख) वित्त मंत्री के निजी सचिव
(ग) सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के प्रधान निजी सचिव
(घ) संयुक्त सचिव (नीति एवं एफसीआई) के निजी सचिव
(ड.) बीपी-1 प्रभाग
(च) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग। अनुरोध है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाए।
(छ) संबंधित फाईल (गार्ड फाईल)